सरकार के सचिव, मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क विभाग

बनाम

एल. श्रीनिवासन

15 फरवरी, 1996

[के. रामास्वामी और जी.बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:

गबन और जाली अभिलेख तैयार करने के लिए कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच- अभियोजन के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत- मामले का विचारण लंबित- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू करने में विलंब के आधार पर विभागीय जांच को अपास्त किया और आरोप को अभिखंडित किया- अवधारित; आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, गबन और जाली अभिलेख तैयार करने का पता लगाने में लंबा समय लगेगा जो गोपनीयता में किया जाना चाहिए- गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई- न्यायाधिकरण ने गंभीरतम त्रुटि की- शुरुआत में ही निलंबन आदेश और आरोपों को अभिखंडित करने में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अतिक्रमण किया- ऐसा आदेश प्रत्येक मामले का विस्तार से परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर भारी दबाव डालता है और इसका उपचार किया जाना आवश्यक है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की दीवानी अपील संख्या 3658-59

मद्रास स्थित तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 1993 के ओ.ए. संख्या 1702/93 और 2206 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.11.93 से।

अपीलकर्ताओं के लिए सुश्री ए. सुभाषिनी।

उत्तरदाताओं के लिए वी. रामसुब्रमण्यन और वी. बालचंद्रन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया :

विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

मद्रास स्थित तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल आवेदन संख्या 1702/93 और 2206/93 में पारित आदेश दिनांक 12 नवंबर, 1993 हमारे समक्ष प्रश्नगत है। उत्तरदाता को गृह, मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य करने के दौरान निलंबन के अधीन रखा गया था। विभागीय जांच प्रक्रिया में है। हमें सूचित किया गया है कि गबन और जाली अभिलेख तैयार करने आदि के अपराधों के अभियोजन के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और अपराध और मामले का विचारण लंबित है। न्यायाधिकरण ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू करने में विलंब के आधार पर विभागीय जांच को अपास्त किया था और आरोप को अभिखंडित किया था। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, गबन और जाली अभिलेख तैयार करने का पता लगाने में लंबा समय लगेगा जो गोपनीयता में किया जाना चाहिए। गुण-दोष पर जाना और आरोपित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप पर कोई निष्कर्ष लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया कोई भी निष्कर्ष जांच और विचारण में पक्षकारों के मामले पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए, हम गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने या किसी भी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क को लेखबद्ध करने से बचते हैं। इतना कहना ही पर्याप्त है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में गंभीरतम त्रुटि की है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य को सेवा विधि के प्रसासकशास्त्र का कोई ज्ञान प्रतीत नहीं होता है और उन्होंने शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया मानो वे न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा से परे एक अपीलीय मंच हों। यह ऐसा ही एक दृष्टांत है जहां एक सदस्य ने शुरुआत में ही निलंबन आदेश और आरोपों को अभिखंडित करने में अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अतिक्रमण किया था। हम बार-बार ऐसे आदेशों

का सामना कर रहे हैं जो इस न्यायालय पर प्रत्येक मामले का विस्तार से परीक्षण करने का भारी दबाव डालते हैं। अब समय आ गया है कि इसका उपचार किया जाए।

तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त किया जाता है। विवाद खुला है; अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा और विचारण को भी कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। कोई लागत नहीं।

जी.एन. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।